Form No. III
फर्द–अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

अशोक कुमार बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी करूकडा पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :- **धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

किस्म मुकदमा	अपील (सूचना का अधिकार)	नं0	**096**	सन्	**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2025	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी अशोक कुमार पिता भैरूलाल सालवी निवासी हमेरपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 9660938008) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जिले के विभिन्न **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करूकडा पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2025 के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जिले के विभिन्न **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करूकडा पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्व प्रस्तुत की गई है एवं तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करूकडा पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करूकडा पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां नियमानुसार मय वांछित दस्तावेजात के अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन के साथ तादादी रूपये 10-/ अक्षरे दस रूपये मात्र का भारतीय डाक आदेश संख्या **63 F 832179** संलग्न किया गया है। अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अध्यधीन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क 10/- रूपये प्रावधित किया गया है, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क का प्रावधित नहीं है, अतः उक्त भारतीय डाक आदेश प्रार्थी/अपीलार्थी को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। डाक आदेश की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 27.10.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official